दिनांक: 28/05/17

सेवा में,
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी,
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, मुख्यालय, नई दिल्ली

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन आवेदन

महोदय/महोदया,

कृपया इस आवेदन के सम्बन्ध में सभी प्रकार का संवाद **केवल हिंदी** में करें और निम्नलिखित सूचनाएं बिन्दुवार **केवल हिंदी** में और साफ़-साफ़ शब्दों में प्रदान करने का कष्ट करें. यह सभी प्रश्न केवल जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, मुख्यालय, नई दिल्ली के सम्बन्ध में हैं, अतः अन्य कार्यालयों को स्थानांतरित न करें :

1. वर्ष 2016-17 में मंत्रालय मुख्यालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अधीन आने वाले दस्तावेजों (अनुलग्नक 1) में से कितने नियमानुसार द्विभाषी रूप में जारी किए और कितने केवल अंग्रेजी में अलग-२ संख्या बताएँ. इनके निरीक्षण करने के लिए कितना शुल्क लगेगा और इनकी प्रति पाने के लिए प्रति पृष्ठ और कुल कितना शुल्क मुझे चुकाना होगा?
2. मुख्यालय द्वारा ऑनलाइन भर्ती फॉर्म आदि को द्विभाषी रूप में उपलब्ध करवाने के लिए क्या-२ कार्रवाई की गई है जानकारी दें, ऑनलाइन भर्ती को द्विभाषी रूप में शुरू करने के लिए चलाई गई फाइल की संख्या और फाइल शुरू करने का दिनांक भी बताएँ, यदि कोई फाइल शुरू नहीं की गई है तो स्पष्ट रूप से लिखकर बताएँ.
3. मंत्रालय की मुख्य वेबसाइट पर कुल कितने ऑनलाइन फॉर्म, पीडीएफ फॉर्म एवं पीडीएफ दस्तावेज अपलोड किए गए हैं? इनमें से कितने केवल अंग्रेजी में हैं, कितने केवल हिंदी में और कितने राजभाषा अधिनियम के अनुसार द्विभाषी (डिगलॉट) हैं? आई टीम के पास उपलब्ध आंकड़ों से सूचना प्रदान करें.
4. मंत्रालय की सभी ऑनलाइन सेवाएँ, मोबाइल एप और वेब पोर्टल केवल अंग्रेजी में ही उपलब्ध हैं अथवा उनके केवल होमपेज हिंदी में बना दिए गए है. कृपया फाइल देखकर बताएँ कि केवल अंग्रेजी में उपलब्ध इन ऑनलाइन सुविधाओं, मोबाइल एप और वेब पोर्टल को राजभाषा में उपलब्ध करवाने के लिए विभाग के उच्च अधिकारियों/ विभाग की आईटी टीम के सदस्यों ने पिछली किस-किस बैठक में चर्चा की. फाइल की संख्या और फाइल शुरू करने का दिनांक भी बताएँ यदि ऐसी कोई फाइल शुरू नहीं की गई है तो स्पष्ट रूप से लिखकर बताएँ.
5. हिंदी वेबसाइट अद्यतित नहीं की जा रही है, उसपर पीडीएफ फाइल केवल अंग्रेजी में, प्रेस विज्ञप्तियां हैं ही नहीं (अनुलग्नक 3 देखें). कृपया बताएँ कि मंत्रालय की मुख्य वेबसाइट को 100% द्विभाषी (डिगलॉट) में बनाने का कार्य किसे सौंपा गया है, नाम-पदनाम-संपर्क विवरण बताएँ, और कब सौंपा गया है? मंत्रालय की वेबसाइट के लिए हिंदी अनुवाद किसने किया है और वेबसाइट पर अपलोड करने से पहले किसने इसकी जांच की थी?
6. मंत्रालय की मुख्य वेबसाइट को 100% द्विभाषी (डिगलॉट) बनाने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?
7. मंत्रालय के मुख्यालय में अनुलग्नक 2 में निर्दिष्ट नियमों के पालन के लिए क्या जांच बिंदु निर्धारित किए गए हैं?
8. मंत्रालय द्वारा पिछले ३ वर्ष में कितनी नीतियों के प्रारूप किस-2 भाषा में आम जनता के सुझावों के लिए जारी किए गए? इन प्रारूप पर हिंदी में कितने सुझाव प्राप्त हुए थे क्या हिंदी में प्राप्त सुझावों पर विचार किया जाता है?
9. मंत्रालय ने वर्ष 2016-17 में विज्ञापनों पर कुल कितनी राशि खर्च की है? कुल राशि में से कितनी राशि हिंदी विज्ञापनों पर खर्च की गई है और कितनी अंग्रेजी विज्ञापनों पर?

10. मंत्रालय ने उसके द्वारा आयोजित/प्रायोजित कार्यक्रमों/बैठकों/सम्मेलनों के द्विभाषी बैनर और द्विभाषी नामपट बनवाने के लिए क्या-२ जाँच बिंदु बनाए हैं? बैनर/मेज नामपट को बनवाने/छपवाने की मंजूरी कौन अधिकारी देता है?

धन्यवाद सहित,

आवेदक

विधि जैन

अनुलग्नक - 1

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी होने वाले दस्तावेज़

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के तहत प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेज़ हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जाएँगे:-

- संकल्प
- सामान्य आदेश
- नियम
- अधिसूचनाएँ
- प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन
- प्रेस विज्ञप्तियाँ
- संसद के किसी सदन अथवा दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन और सरकारी कागजात
- संविदा
- करार
- अनुज्ञप्ति (लाइसेंस)
- अनुज्ञा-पत्र (परमिट)
- निविदा सूचनाएँ
- निविदा फार्म

अनुलग्नक-2

2.8 नाम पट्ट रबड़ की मोहरें, कार्यालय की मुद्राएं, पत्र शीर्ष और लोगो (प्रतीक)

(1) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य कार्यालयों में प्रयोग में आने वाली सभी रबड़ की मोहरें और कार्यालय की मुद्राएं द्विभाषिक रूप में हिन्दी के शब्द ऊपर रखते हुए प्रयोग की जाएं।

(2) पदनाम, कार्यालय का नाम, पता आदि के बारे में जो मोहरें वर्तमान आदेशों के अनुसार द्विभाषी रूप में बनाई जाती हैं, वे इस प्रकार बनाई जाएं कि उनमें एक पंक्ति हिंदी की और फिर एक पंक्ति अंग्रेजी की हो या एक ही पंक्ति में हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में लिखा हो। ये निदेश नई बनाई जाने वाली मोहरों पर लागू किए जाएं।

(3) बैंकों के चैकों पर यदि द्विभाषी मोहरें लगाने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध न हो तो "क" और "ख" क्षेत्रों के कार्यालयों आदि में चैकों पर मोहरें केवल हिंदी में और "ग" क्षेत्र के कार्यालयों में केवल हिंदी या अंग्रेजी में लगा दी जाएं।

(4) जो मोहरें टिप्पणी आदि की जगह पर बनाई जाती हैं वे या तो द्विभाषी बनाई जाएं या "क" और "ख" क्षेत्र के कार्यालयों आदि में केवल हिंदी में और "ग" क्षेत्र के कार्यालयों में केवल हिंदी या अंग्रेजी में बनवा ली जाएं।

(5) रबड़ की मोहरें तैयार करते समय सभी भाषाओं के अक्षर समान आकार के होने चाहिए।

(6) 'क' और 'ख' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में नाम पट्ट रबड़ की मोहरें, पत्र शीर्ष, लोगो (प्रतीक) आदि द्विभाषी रूप में बनवाएं जाएं।

(7) 'ग' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में नाम पट्ट रबड़ की मोहरें, पत्र शीर्ष, लोगो (प्रतीक) आदि त्रिभाषी रूप में बनवाएं जाएं।

[का० ज्ञा० सं० 559/68-रा० भा०, (क-1) दिनांक 17-10-1968, क्रम सं० 27]

[का० ज्ञा० सं० 1/14013

<u>अनुलग्नक 3</u>

मुख्य पृष्ठ | कौन क्या है | सूचनाएँ और परिपत्र | प्रेस विज्ञप्ति | रिक्तियाँ | निविदाऐं | परिणाम रूपरेखा दस्तावेज | आर टी आई | सिटीजन चार्टर

- मंत्रालय के बारे में
- जल - एक स्रोत
- गंगा संरक्षण
- राष्ट्रीय जल नीति
- संगठन
- राष्ट्रीय जल मिशन
- कार्यक्रम और योजनाएं

आप यहाँ हैं मुखपृष्ठ > सूचनाएँ और परिपत्र

सूचनाएँ और परिपत्र

सूचनाएँ और परिपत्र

अंतिम अद्यतन : 26/09/2014

द्वारा अपलोड की गई :nic-app

आप यहाँ हैं मुखपृष्ठ > प्रेस विज्ञप्ति

प्रेस विज्ञप्ति

» जल संसाधन मंत्रालय द्वारा पुरस्कारों की स्थापना की घोषणा

अंतिम अद्यतन : 02/06/2014

द्वारा अपलोड की गई :shashank

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

भारत सरकार

ृष्ठ | कौन क्या है | सूचनाएँ और परिपत्र | प्रेस विज्ञप्ति | रिक्तियाँ | निविदाऐं | परि

- य के बारे में
- एक स्रोत

नया क्या अधिक

कोई नई नया क्या 28/05/2017 तक नहीं है.